संख्याः 511 /1–11–2016

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण,
गोमती नगर लखनऊ।

राजस्व अनुभाग–11

लखनऊः दिनांक 07 दिसम्बर, 2016

विषयः जिला आपदा प्रबन्ध योजना के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1414 रा0आ0प्र0प्रा0/18/डी0डी0एम0पी0/2016–17 दिनॉक 22.11.2016 एवं पत्र संख्या–1416 रा0आ0प्र0प्रा0/18/डी0डी0एम0पी0/2016–17 दिनॉक 23.11.2016,जिसके माध्यम से जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण से अनुमोदित कराये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. प्रदेश सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त आपके उपर्युक्त सन्दर्भित पत्रों द्वारा प्राप्त निम्न 44 जनपदों की जिला आपदा प्रबन्ध योजना को राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा–31 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमोदित किया जाता हैः–

जनपद का नाम – कासगंज, फर्रूखाबाद, महोबा, बलरामपुर, बागपत, हमीरपुर, झाँसी, बरेली, पीलीभीत, बलिया, अमेठी, फिरोजाबाद, बस्ती, मैनपुरी, अलीगढ, मेरठ, गोरखपुर, बाराबंकी, शाहजहांपुर, हरदोई, कन्नौज, मऊ, प्रतापगढ़, लखनऊ, एटा, शामली, फतेहपुर, महाराजगंज, औरेया, सोनभद्र, श्रावस्ती, अमरोहा, कानपुर नगर, देवरिया, कुशीनगर, बांदा, बहराइच, बिजनौर, उन्नाव, बुलन्दशहर, अम्बेडकरनगर, इटावा, जौनपुर, गाजीपुर।

3. अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव ।

संख्या एवं दिनॉक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, एन0डी0एम0ए0 भवन, नई दिल्ली।
3. राहत आयुक्त, उ0प्र0/संबंधित जिलाधिकारी ।
4. परियोजना निदेशक, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, गोमती नगर लखनऊ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव श्याम मिश्र)
विशेष सचिव ।

241 GO-R-11-r